भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 963
बुधवार, 31 जुलाई, 2024 (श्रावण 9, 1946, (शक)) को उत्तरार्थ

खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए गोदाम

963 # श्री रामभाई हरजीभाई मोकरियाः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय देश में खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए गोदाम बनाने की योजना बना रहा है;
(ख) यदि हाँ, तो इस योजना का कार्यान्वयन किस स्तर पर किया जाएगा;
(ग) इस योजना के तहत निर्मित की जाने वाली कृषि अवसंरचनाओं की औसत लागत कितनी होगी; और
(घ) इस योजना से किसानों को क्या लाभ होंगे?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (घ): जी हां, मान्यवर । देश में अन्न भंडारण की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने दिनांक 31.05.2023 को "सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना" को अनुमोदन प्रदान किया, जिसे एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है । इस योजना में भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं, जैसे कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (SMAM), समेकित बागवानी विकास मिशन (MIDH), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (PMFME), आदि के अभिसरण द्वारा पैक्स स्तर पर गोदाम, कस्टम हाइरिंग केंद्र, प्रसंस्करण इकाइयों, उचित मूल्य की दुकानों, आदि जैसी विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं का निर्माण करना शामिल है । पायलट परियोजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा नाबार्ड, नाबार्ड कंसल्टेंसी सेवाएं (NABCONS), भारतीय खाद्य निगम (FCI), नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC), आदि की सहायता से विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में किया जा रहा है ।

कृषि अवसंरचना के निर्माण की अनुमानित लागत क्षेत्र की स्थलाकृति, श्रम की लागत, पैक्स द्वारा चयनित परियोजना घटकों, गोदामों की क्षमता, इत्यादि के आधार पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है ।

पैक्स स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता के निर्माण से किसानों को निम्नलिखित विभिन्न लाभ प्राप्त हो सकेंगें:

i. वे पैक्स में निर्मित गोदामों में अपनी उपज भंडारित कर सकेंगे और अगले फसल चक्र के लिए तात्कालिक वित्त प्राप्त कर इच्छानुसार समय पर उसे बेच सकेंगे, या न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर पैक्स को अपनी पूरी फसल बेच सकेंगे जिससे उन्हें अपनी फसलों की कम दरों पर मजबूरन बिक्री नहीं करनी पड़ेगी ।

ii. उन्हें पंचायत/गांव स्तर पर ही विभिन्न कृषि निविष्टियां या सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी ।

iii. व्यवसाय के विविधीकरण से किसानों को आय के अतिरिक्त स्त्रोत प्राप्त हो सकेंगे ।

iv. खाद्य आपूर्ति प्रबंधन श्रृंखला के साथ एकीकरण द्वारा किसान अपने बाज़ार का विस्तार करके अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त कर पाएंगे ।

v. पैक्स स्तर पर पर्याप्त खाद्यान्न भंडारण क्षमता के निर्माण से फसल पश्चात नुकसान में कमी लाने में मदद मिलेगी जिसके फलस्वरूप किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेंगे ।

vi. चूंकि, पैक्स खरीद केंद्र के साथ-साथ उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के रूप में भी कार्य करेंगे, इसलिए खाद्यान्न केंद्रों तक खाद्यान्न ले जाने और फिर भांडागारों से उचित मूल्य की दुकानों तक उसे वापस लाने पर होने वाले परिवहन व्यय में भी बचत होगी ।

vii. उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह योजना देश भर में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी सहायक सिद्ध होगी ।

*****